



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 133/2018 धारा-363,366,376 भा०द०सं० व 04 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शिवकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी भैसाय, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ०नि० भारत
यादव



पैरोकार
थाना- राठ
का० सर्वज्ञ